





तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर त अहकाम, जो की तामील में
4 <sup>6</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त/राज कार्य से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक. 26/6/25 को पेश हो 	
26 <sup>6</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त/राज कार्य से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक. 14/7/25 को पेश हो 	
14 <sup>7</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त/राज कार्य से बाहर/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक. 5/8/25 को पेश हो 	
5 <sup>8</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। परोका (न.का. (उप.)) अपार्थिव की तलवी जिल्हे के हिस्से की जाग पत्रावली दिनांक 2/9/25 को पेश हो 	जारी 862-63 11/8/25
3 <sup>9</sup> / <sub>25</sub>	पत्रावली पेश हुई। परोका (न.का. (उप.)) अपार्थिव को जाली मोर्चेत वास तामील अप्त। अपार्थिव सं. 2 में उपस्थित होकर एडवार्स जपुस सह आशय का पेश किया कि पार्थी की ख. अ. 1750/ 1879 रुकबा 051 वाके-ग्राम का 6 विलोली दिनांक 26/5/2000 को साबित हुई थी जिसे अपार्थी का काश नहीं की गई है न ही कावे काशत करना चाहिए है। अतः इत आर्डर आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। अतः अपार्थी द्वारा प्राप्त	नि. अपार्थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	---

गणपत, पटवारी हल्का चकविलोली, जू. अमिचक  
 तिरुसूर - चकविलोली की मोक्या रिफोर्ट डिपॉजिट  
 23/03/21 तथा पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात  
 का अवलोकन, अध्याय एवं मन्त्र काते पर  
 यह पष्ट होता है कि ग्राम वाड विलोली के  
 खे.नं. 1780/1879 रकम 0.51 है पर आवंटनी  
 का मोक्या पर कब्जा नहीं है। आवंटनी द्वारा  
 आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है।  
 अतः उक्त विवेक के आधार पर आवंटनी का  
 आवंटित शुद्ध रकम खे.नं. 1780/1879 रकम  
 0.51 है कि ग्राम वाड विलोली पर कब्जा नहीं  
 होने के काल प्राप्ति प्रयोगार्थ रकम आवंटन  
 नियम 1970 की धारा 14(4) के अंतर्गत  
 आवंटन कोर्ट के दिनांक 26.5.2000 को  
 निरस्त किया जाता है तथा तदधीनस्थ  
 मलालाडुंग को कोर्टो शित किया जाता है  
 कि राजस्व. ग्राम वाड विलोली के कारण  
 खे.नं. 1780/1879 रकम 0.51 है पर  
 ग्राम वाड विलोली को राजस्व अधिलेख में  
 विवक्षित नहीं है। निर्दिष्ट शुद्ध - मन्त्र  
 13/03/21 | पत्रवाली केवल शुद्ध एवं  
 13/03/21 के मोक्या वाड तामील डायरेक्ट  
 डायरेक्ट है।

अति. जिला कलेक्टर  
 सवाई माधोपुर